फ.सं.1/2/2023/प-XV
संघ लोक सेवा आयोग
परीक्षा-XV अनुभाग

विषय: सम्मिलित भू-वैज्ञानिक (प्रारंभिक) परीक्षा, 2023 - परीक्षा शुल्क भुगतान न किए जाने के कारण अस्वीकृत आवेदन पत्रों के संबंध में।

सम्मिलित भू-वैज्ञानिक (प्रारंभिक) परीक्षा, 2023 के लिए निम्नलिखित आवेदकों के संबंध में 200/- रुपए के शुल्क की प्राप्ति के विषय में बैंक प्राधिकारियों से संपुष्टि प्राप्त नहीं हुई है:-

क्रम सं.	पंजीकरण आईडी	उम्मीदवार का नाम	ट्रांजेक्शन आईडी
1	12301084857	राहुल आर्या	CPACCKRKC4
2	12301146513	रोहिताश यादव	ROHI123011465

2. आयोग के नोटिस सं. 02/2023 जीईओएल दिनांक 21/09/2022 में निहित प्रावधानों के अनुसार, आयोग ने उक्त परीक्षा के लिए इन सभी उम्मीदवारों के आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया है। इस संबंध में इन सभी उम्मीदवारों को शीघ्र ही ई-मेल भी भेज दिए जाएंगे।

3. इस अस्वीकृति के विरुद्ध यदि कोई अपील हो, तो उसे **दस्तावेजी प्रमाण के साथ केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत तौर पर** श्री सुनील कुमार, अवर सचिव (सीजीएसई), संघ लोक सेवा आयोग, चतुर्थ तल, हॉल नं.-1, परीक्षा भवन, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069 के समक्ष इस मेल की प्राप्ति के **10 (दस) दिन के अंदर** प्रस्तुत किया जा सकता है। उक्त अस्वीकृति के विरुद्ध अपील, आयोग कार्यालय में अधिक से अधिक 09.11.2022 तक प्राप्त हो जानी चाहिए। दस्तावेजी प्रमाण प्राप्त होने पर शुल्क भुगतान के वास्तविक मामलों पर विचार किया जाएगा और संबंधित आवेदकों के अन्यथा पात्र पाए जाने पर उनके आवेदनों को पुनरुज्जीवित (रिवाइव) किया जाएगा।

(i) यदि आपने नकद जमा के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक/निर्दिष्ट बैंकों में शुल्क अदा/जमा किया है तो कृपया **बैंक की भुगतान पर्ची** (मूल प्रति) प्रस्तुत करें।

(ii) यदि आपने डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा प्राधिकृत बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग सेवा के माध्यम से शुल्क का भुगतान किया है, तो कृपया अपने **डेबिट/क्रेडिट कार्ड के विवरण अथवा बैंक खाते के विवरण**, जैसा भी मामला हो, की प्रति जमा करें।